शिक्षकों की गोपनीय आख्या प्रविष्टि हेतु प्रस्तावित प्रतिवेदक / समीक्षा / स्वीकृताधिकारियों का विवरण

पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकृताधिकारी
स0अ0 प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय विद्यालय	प्रधानाध्यापक संबंधित विद्यालय	उपशिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0)
प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय विद्यालय	उपशिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0)	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0)
स0अ0 माध्यमिक विद्यालय	प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य संबंधित विद्यालय	खण्ड शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी(मा0)
प्रवक्ता	प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य संबंधित विद्यालय	खण्ड शिक्षा अधिकारी	मुख्य शिक्षा अधिकारी
प्रधानाध्यापक,माध्यमिक विद्यालय	खण्ड शिक्षा अधिकारी	मुख्य शिक्षा अधिकारी	अपर निदेशक मा0 मण्डल
प्रधानाचार्य	खण्ड शिक्षा अधिकारी	मुख्य शिक्षा अधिकारी	निदेशक माध्यमिक शिक्षा

<u>शिक्षकों की गोपनीय आख्या प्रविष्टि हेतु निर्देश</u>

वर्तमान समय में राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए तथा छात्र संप्राप्ति स्तर में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु शिक्षकों की जबावदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षकों की गोपनीय आख्या को उनके शैक्षणिक कार्य से जोडना अनिवार्य है।अद्यतन प्रचलित गोपनीय आख्या प्रपत्रों में छात्र संप्राप्ति आकलन एवं शिक्षकों की जबावदेही संबंधी कोई प्राविधान न होने के कारण गोपनीय आख्या प्रपत्रों में संशोधन किया गया है।

गोपनीय आख्या प्रपत्रों में प्रविष्टि निम्नवत बिन्दुओं के अन्तर्गत की जाएगी। सभी मूल प्रतियों में मान्य होगी।

1.गोपनीय आख्या प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान की अवधि की की जाएगी।

2.वार्षिक गोपनीय आख्या प्रपत्र शिक्षकों के द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में तीन प्रतियों में तथा प्रधानाध्यापकों एवं प्रधानाचार्यो की चार प्रतियों में भरी जाएगी ।

3.प्रारम्भिक शिक्षकों की गोपनीय आख्या प्रपत्रों पर अंकना करने हेतु भाग– 2क छात्रों की शैक्षिक संप्राप्ति से संबंधित है। इस हेतु प्रारम्भिक स्तर पर कक्षा 3 एवं 5 तथा कक्षा 8 का अधिगम स्तर आकलन किया जाएगा। इस अधिगम स्तर आकलन का छात्रों के उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होने से कोई संबंध नही है तथापि विभाग में नीति निर्धारण आदि में इसका उपयोग किया जा सकता है।

4.अधिगम स्तर आकलन कक्षा तीन में तीन विषयों जिनमें भाषा,गणित तथा पर्यावरणीय अध्ययन,तथा कक्षा 5 में हिन्दी,अंग्रेजी,विज्ञान तथा गणित विषयों तथा कक्षा 8 में हिन्दी,अंग्रेजी,सामाजिक अध्ययन तथा गणित के विषयों में किया जाएगा।

5.अधिगम स्तर आकलन के उपरान्त विषयों में सम्मिलित छात्रों के द्वारा प्राप्त उपलब्धि प्रतिशत अंकों के आधार पर गोपनीय आख्या प्रपत्र के भाग 2 क पर अंकना की जाएगी।

6.चूकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कक्षा 1–8 तक के विषयों एवं शिक्षकों को अनिवार्यतः अपने नियुक्ति वाले विद्यालय से ही अध्यापन कार्य करना है और संबैधानिक प्राविधानो के तहत उक्त कक्षाओं में संबद्धीकरण समाप्त कर दिया जा चुका है अतः

संबद्धीकृत शिक्षको की गोपनीय आख्या का आधार उनके वेतन वाला विद्यालय ही होगा अतः उनके संबद्धीकरण के कार्यों को गोपनीय आख्या का आधार नही माना जाएगा।

7.गोपनीय आख्याओं की प्रविष्टि हेतु विभिन्न स्तरों पर समय सीमा निम्नवत तय की जा रही है।

प्रतिवेदक अधिकारी	31 जुलाई
समीक्षक अधिकारी	31 अगस्त
स्वीकृता अधिकारी	30 सितम्बर

यदि किन्ही मामलों में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार प्रविष्टि को लिखे जाने में प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा समीक्षक अधिकारी को प्रविष्टि उपलब्ध नही कराई जाती है और निर्धारित तिथि से 6 माह की अवधि गुजर जाती है तो ऐसे मामलों में समीक्षक अधिकारी को अपने स्तर से ही प्रविष्टि लिख देनी चाहिए। इस प्रकार की स्थिति में यदि बाद में प्रतिवेदक अधिकारी से प्रविष्टि प्राप्त होती है तो उस पर कोई कार्यवाही नही की जाएगी।

8. शिक्षकों की गोपनीय आख्या सुरक्षित रखने हेतु विकास खण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी (बेसिक) तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी एक–एक कस्टोडियन की नियुक्ति करेंगे,जोकि सभी शिक्षकों की गोपनीय आख्याओं को विकास खण्ड स्तर पर सुरक्षित रखने हेतु उत्तरदायी होगे तथा आवश्यकता पडने पर उसे संबंधित को उपलब्ध करवाएगे। उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रारम्भिक स्तरीय शिक्षकों एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर माध्यमिक शिक्षकों की गोपनीय आख्या सुरक्षित रखी जाएगी।

8.शिक्षकों एवं प्रविष्टिकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे गोपनीय आख्या प्रपत्रों पर अंकना सावधानी पूर्वक करें किसी भी प्रकार की ओवर राइटिग तथा सफेदी (ह्वाइटनर) का प्रयोग करना वर्जित है।

9.माध्यमिक स्तर पर गोपनीय आख्या प्रपत्रों के प्रथम् भाग में अंकना हेतु परिषदीय परीक्षा को आधार बनाया गया है। जो शिक्षक बोर्ड की कक्षा में अध्यापन नही कर रहे है उनकी सर्वोचच कक्षा की संप्राप्ति को ग्रेडिग हेतु आधार बनाया गया है।

10.शारीरिक शिक्षा वाले शिक्षकों की गोपनीय आख्या प्रविष्टि हेतु विभिन्न स्तरों पर उनके विद्यालय के छात्रों द्वारा किये गये प्रतिभाग के आधार पर उनकी ग्रेडिग निर्धारित की जाएगी।

गोपनीय आख्या प्रपत्र अंकना के नियम–

प्रारम्भिक शिक्षकों के लिए

भाग–1

गोपनीय आख्या प्रपत्र का यह भाग शिक्षकों के व्यक्तिगत विवरण से संबंधित है। इस भाग में 09 विन्दुओ के अन्तर्गत शिक्षक अपना विवरण अंकित करेंगे। इस भाग के विन्दु संख्या–6 पर शिक्षक गोपनीय आख्या प्रविष्ट हेतु अपने उस अधिकारी का नाम अंकित करेंगे जिसके अधीन कार्य किया है। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक अपने प्रधानाध्यापक का नाम अंकित करेंगे। विद्यालय में यदि दोनो स.अ. कार्यरत है तो ऐसी स्थिति में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक का नाम अंकित किया जाय। कार्यवाहक प्रधानाध्यापक प्रतिवेदक अधिकारी हेतु उप शिक्षा अधिकारी का नाम अंकित करेंगे। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय के अन्य स.अ. के लिए प्रतिवेदक अधिकारी होगे।

भाग–2 क

गोपनीय आख्या प्रपत्र का यह भाग 60 अंकों का है। गोपनीय आख्या प्रपत्र का यह भाग छात्र संप्राप्ति से संबंधित है। इसकी अंकना हेतु कक्षा 3 एवं 5 तथा 8 के छात्रों का एल. एल.ए. प्रस्तावित है। इस अधिगम स्तर आंकलन का छात्रो के उत्तीर्ण अथवा अनुतीर्ण करने से संबंध नही है। एल.एल.ए. के उपरान्त विषयवार छात्रों द्वारा प्राप्त दक्षताओं का औसत कर उसका प्रतिशत निकाला जाय। प्रतिशत ज्ञात करने के उपरान्त निम्नवत सारिणी के अनुसार अर्जित अंक अंकित किये जाए।

उपलब्धि प्रतिशत के आधार पर कुल अर्जित अंकों का निर्धारण निम्नवत सारिणी के अनुसार किया जाएगा–

उपलब्धि प्रतिशत	**अर्जित अंक**
91-100 %	60
81-90 %	55
71-80%	50
61-70%	40
51-60%	30
41-50%	20
31-40%	10
30% से कम	0

भाग–2 ख

गोपनीय आख्या प्रपत्र का यह भाग 30 अंकों का है। इस भाग पर अंकना सावधानीपूर्वक तथा तथ्यों/प्रमाणो के आधार पर करेंगे। विन्दुवार साक्ष्य संलग्न न होने की दशा में निर्धारित अंक स्वतः शून्य माने जाएगे।

गोपनीय आख्या प्रपत्र का यह भाग शिक्षकों के विविध कियाकलापों से संबंधित है। इस भाग पर अंक प्रदान करने का कार्य प्रतिवेदक अधिकारी करेंगे।

विन्दु संख्या 1–विद्यालय के विगत वर्ष के छात्र नामांकन की तुलना में यदि वृद्धि होती है तो 4 अंक प्रदान किये जाए। यदि बाल गणना के अनुसार सेवित क्षेत्र के उल्लेखित उम्र के बच्चों की संख्या से कम छात्र विद्यालय में नामांकित हो तो अंक न प्रदान किये जाय। इस विन्दु का आशय सेवित क्षेत्र के बच्चों का संबंधित विद्यालय में नामांकन से है।

विन्दु संख्या 2–खेल,एवं अन्य किसी भी गतिविधि में यदि विद्यालय के छात्र प्रतिभाग करते है तो संकुल पर प्रतिभागिता का 1 अंक ,विकासखंड पर प्रतिभागिता के 2 अंक,जनपद पर प्रतिभागिता के 3 अंक,राज्य स्तर पर प्रतिभागिता के 4 अंक तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागित के 5 अंक प्रदान किये जाय। अधिकतम अंक 5 है।

विन्दु संख्या–3 विद्यालय मे शिक्षण कार्य हेतु शिक्षकों के द्वारा तैयार नवीन विधा के विकास हेतु 1 अंक तथा स्वयं निर्मित अधिगम सामग्री के लिए 1 अंक निर्धारित है।

विन्दु संख्या –4 विद्यालय सौन्दर्यीकरण हेतु प्रपत्र पर निर्दिष्ट स्थिति के अनुरूप अंक प्रदान किये जाय। अधिकतम अंको की संख्या 3 है।

विन्दु संख्या –5 प्रतिवेदक अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि शिक्षकों की विद्यालय मे शिक्षण कार्य हेतु दैनन्दिनी तैयार है या नही। शिक्षक यदि दैनन्दनी के अनुसार शिक्षण कार्य करते है तो इस विन्दु पर अधिकतम 2 अंक प्रदान किये जाय।

विन्दु संख्या –6 इस विन्दु पर अंक प्रदान करने हेतु शिक्षकों के विद्यालय मे शिक्षण कार्य दिवसों का संज्ञान लिया जाय। प्रशिक्षण/खेल/पाठ्य पुस्तक एवं माड्यूल निर्माण/संदर्भदाता/शैक्षिक सेमीनार के दिवसों को भी उपस्थिति में सम्मिलित माना जाय।

विन्दु संख्या –7 विद्यालय में विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि विद्यालय मे विद्यालय विकास योजना तैयार है और योजना के अनुरूप कार्य हो रहा है तो संबंधित के लिए एक–एक अंक प्रदान किया जाय।

विन्दु संख्या –8 न्यून संप्राप्ति छात्रों के लिए सुधारात्मक /उपचारात्मक शिक्षण एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रतिवेदक अधिकारी किसी भी प्रकार के उक्त शिक्षण हेतु प्रमाण के आधार पर शिक्षकों को दो अंकों के पूर्णाक में से अंक प्रदान करेंगे।

विन्दु संख्या –9 विद्यालय में सामुदायिक सहभागिता का होना शैक्षिक उन्नयन हेतु आवश्यक है। प्रपत्र पर अंकित विवरण के अनुसार स्थिति के अनुरूप प्रतिवेदक अधिकारी संबंधित के अंक प्रदान करेंगे।

गोपनीय आख्या प्रपत्र

(प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड में कार्यरत् प्र0अ0 / स0अ0 के लिए)
(आख्यागत वर्ष ....)

भाग—1

विद्यालय का नामः—   विकास खण्ड का नामः—   जनपद का नामः—

1.शिक्षक का नामः—   पदनामः—

2.जन्म तिथिः—

3.गृह जनपदः—

4.शैक्षिक योग्यता का विवरण—

परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	विषय	श्रेणी	परीक्षा संस्था
हाईस्कूल				
इण्टरमीडिएट				
बी0ए0 इत्यादि				
एम0ए0 इत्यादि				
अन्य कोई शैक्षिक योग्यता				
बी0टी0सी0 / बी0एड0 आदि				

5.वर्तमान धारित पद और उस पर नियुक्ति की तिथिः

6.पदों का विवरण जिस पद पर आख्यागत वर्ष में कार्य किया—

पदनाम	तिथि कब से कब तक	वेतनक्रम व ग्रेड वेतन	अधिकारी का नाम जिसके अधीन कार्य किया

7. आख्यागत वर्ष में शिक्षक द्वारा किए गए शिक्षण कार्य दिवसो (प्रशिक्षण / खेल / पाठ्य पुस्तक एवं माड्यूल निर्माण / संदर्भदाता / शैक्षिक सेमीनार के दिवसों को भी उपस्थिति में सम्मिलित माना जाय) का प्रतिशत = {(सत्र में शिक्षक के कुल शिक्षण दिवस) / (सत्र में कुल कार्य दिवस)}X 100 =

8.आख्यागत वर्ष में छात्रों की औसत उपस्थिति =

9.आख्यागत सत्र में लिए गए अवकाशों का विवरणः (आकस्मिक अवकाश को छोड़ कर)

क्र.सं.	अवकाश का प्रकार	अवकाश तिथि कब से	अवकाश तिथि कब तक	कुल दिवस
1	चिकित्सा अवकाश			
2	बाल्य देखभाल अवकाश			
3	प्रसूति अवकाश / पितृत्व अवकाश			
4	अवैतनिक अवकाश			
5	उपार्जित अवकाश			

प्रतिवेदक अधिकारी के हस्ताक्षर   शिक्षक के हस्ताक्षर

भाग–2 (क)

अकादमिक मूल्यांकन

वर्ष ....

छात्रों की अधिगम सम्प्राप्ति का विवरण
{अधिगम स्तर आकलन (LLA) के आधार पर}

कक्षा	विषय	कुल पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या	परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या	अधिगम स्तर आकलन (LLA) के आधार पर उपलब्धि प्रतिशत	उपलब्धि प्रतिशत के आधार पर कुल अर्जित अंक

अधिकतम अंक –60 प्राप्त औसत अंक ....

नोट–शिक्षक द्वारा पढाए जाने वाले विषयों में छात्रो की उपलब्धि प्रतिशत के आधार पर अर्जित अंकों का औसत निकाल कर प्राप्त औसत अंक लिखे जाएगें। प्राथमिक स्तर पर औसत अंक पूरे विद्यालय के औसत अंक माने जाएगे। उक्त के निर्धारण हेतु जिन कक्षा/विषयों में अधिगम स्तर आकलन किया जाएगा उन्ही के अंक उपरोक्त आख्या अंकना हेतु सम्मिलित किये जाएगे।

उपलब्धि प्रतिशत के आधार पर कुल अर्जित अंकों का निर्धारण निम्नवत सारिणी के अनुसार किया जाएगा–

उपलब्धि प्रतिशत	अर्जित अंक
91-100 %	60
81-90 %	55
71-80%	50
61-70%	40
51-60%	30
41-50%	20
31-40%	10
30% से कम	0

भाग–2 (ख)

पाठ्य सहगामी / विविध क्रियाकलाप

(स्वयं भरा जाय तथा विन्दुवार साक्ष्य संलग्न किये जाय)

<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>क्रियाकलापों का विवरण</th><th>निर्धारत अंक</th><th>प्राप्त अंक</th></tr>
<tr><td>1</td><td>सत्र में छात्र नामांकन में वृद्धि
<table>
<tr><td>गत सत्र का कुल छात्र नामांकन</td><td>आख्यागत सत्र का कुल छात्र नामांकन</td><td>छात्र नामांकन में कुल वृद्धि</td><td>सेवित क्षेत्र की बाल गणना (प्राथमिक हेतु 6 से 11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या / उच्च प्राथमिक हेतु 11 से 14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>सत्र में खेल व अन्य प्रतियोगिताओं में छात्रों की प्रतिभागिता
<table>
<tr><td>क्र0 सं0</td><td>प्रतियोगिता का नाम</td><td>जनपद स्तर</td><td>राज्य स्तर</td><td>राष्ट्रीय स्तर</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1अंक</td><td>1अंक</td><td>1अंक</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>शिक्षण नवाचार एवं शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग की स्थिति
1 + 1</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>विद्यालय स्वच्छता, साज सज्जा एवं सौन्दर्यीकरण की स्थिति
<table>
<tr><td>उत्कृष्ट</td><td>उत्तम</td><td>सामान्य</td><td>सामान्य से कम</td></tr>
<tr><td>3 अंक</td><td>2 अंक</td><td>1 अंक</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>शिक्षक दैनन्दनी एवं उसके अनुप्रयोग की स्थिति–
क. दैनन्दनी बनी है अथवा नहीं (हॉ पर 1 अंक)
ख. दैनन्दनी के अनुसार शिक्षण एवं अन्य कार्य करते हैं(हॉ पर 1 अंक)</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>क. आख्या वर्ष में शिक्षण कार्य दिवसों में शिक्षक की विद्यालय में उपस्थिति प्रतिशत (प्रशिक्षण / खेल / पाठय पुस्तक एवं माड्यूल निर्माण / संदर्भदाता / शैक्षिक सेमीनार के दिवसों को भी उपस्थिति में सम्मिलित माना जाय)
75–89 प्रतिशत से अधिक पर 1 अंक तथा 90 प्रतिशत से अधिक पर 3 अंक</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>क. विद्यालय विकास योजना का निर्माण किया गया है ?(हॉ पर 1 अंक)
ख. विद्यालय विकास योजना के अनुरूप विद्यालय में कार्य किया जा रहा है ?(हॉ पर 1 अंक)</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>उपचारात्मक / सुधारात्मक शिक्षण के अन्तर्गत लाभान्वित छात्रों की संख्या (दैनन्दिनी के अनुसार प्रमाण सहित)</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>विद्यालय विकास हेतु सामुदायिक सहयोग से किए गए प्रयासों /कार्यो का विवरण –
<table>
<tr><td>भौतिक संसाधनों का विकास – 1 अंक</td><td>शैक्षिक उन्नयन / कक्षा शिक्षण में – 2 अंक</td><td>एस0एम0सी0 की बैठकों में प्रतिभाग एवं अभिभावकों से सम्पर्क – 1 अंक</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>आख्यागत वर्ष में शिक्षक के रूप में अन्य विशिष्ट उपलब्धियॉ–
<table>
<tr><td>पुरस्कार</td><td>वार्षिकोत्सव / शैक्षिक समारोह</td><td>छात्रोपयोगी लेखन कार्य</td><td>अन्य विशेष प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों का च यन(उल्लेख करें)</td></tr>
<tr><td>1अंक</td><td>1अंक</td><td>1अंक</td><td>1अंक</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>योग</td><td>30</td><td></td></tr>
</table>

भाग–3

प्रतिवेदक अधिकारी का मन्तव्य

1. वर्ष (प्रविष्टि का वर्ष तथा अवधि) –

2. प्र0अ0 / स0अ0 का नाम –

3. पदनाम –

4. सम्बन्धित प्र0अ0 / स0अ0 के व्यक्तित्व तथा कार्य के मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित विशिष्ट पहलुओं की पृष्ठ भूमि में प्रविष्टि –

क्र0सं0	विवरण	निर्धारित अंक	प्राप्त अंक
1	अभिव्यक्त करने की योग्यता	2	
2	सहयोगियों व छात्रों से सम्बन्ध / व्यवहार	2	
3	आख्यागत वर्ष में शिक्षक द्वारा प्राप्त विभागीय प्रशिक्षण एवं उनका शिक्षण कार्य में उपयोग	2	
4	श्रमशीलता एवं कर्तव्य निर्वहन के प्रति लगन	2	
5	विभागीय आदेशों के अनुपालन के प्रति सजगता	2	
	योग	**10**	

5. प्राप्त अंको का योग –

अकादमिक	पाठ्य सहगामी / विविध क्रियाकलाप	प्रतिवेदक का मन्तव्य	योग

6. ग्रेडिंग –

उत्कृष्ट	**अति उत्तम**	**उत्तम**	**खराब**
(76 से 100 अंक)	(51 से 75 अंक)	(26 से 50 अंक)	(25 एवं 25 से कम)

सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी जानकारी में ऐसी बात नहीं है, जिसमें........................ ....की सत्यनिष्ठा पर सन्देह किया जा सकें। ईमानदारी के लिए इनका यश अच्छा है। मैं इनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित करता / करती हूं।

प्रतिवेदक अधिकारी के हस्ताक्षर

स्वच्छ अक्षरों में नाम –
पदनाम –

भाग– 4

समीक्षक अधिकारी की अभियुक्ति–

दिनांक:

....

भाग–5

स्वीकृता अधिकारी का अनुमोदन–

दिनांक:

(प्रतिकूल प्रविष्टि किए जाने पर, चाहे वह ऐसी त्रुटि के बारे में है जिसे सुधारा जा सकता है, उसकी सूचना सम्बन्धित शिक्षक को दी जानी चाहिए।)